न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी कमांक :- /2017

1. श्रीमति शोभा राजा बुन्देला पत्नी सत्येंद्र सिंह बुन्देला, आयु 50 वर्ष, निवासी ताल दरवाजा टीकमगढ़ तहसील व टीकमगढ़ (म.प्र.)

2. मानसिंह तनय सरदार सिंह ठाकुर, निवासी ग्राम वडमाड़ई तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

............निगराकारगण

ब ना म्

शासन मध्य प्रदेश द्वारा तहसीलदार, टीकमगढ़ (म.प्र.)

........प्रति निगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता

प्रस्तुत निगरानी अधिनथ्स न्यायालय के प्रकरण कमांक 12B-129-1997-98 में पारित आदेश दिनांक 02-05-1998 न्यायालय कलेक्टर महोदय, टीकमगढ़ के प्रतिकूल प्रस्तुत की जा रही है।

महोदय,

निगराकारगण की विनय सादर निम्न प्रकार है :-

1. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, भूमि स्थित ग्राम मिनौरा खसरा कमांक 5/2/1 शासन के नियमानुसार निगराकार कमांक 2 को म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के प्रावधान अनुसार तलवदल में भूमि प्राप्त हुई थी जिसे अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय, टीकमगढ़ के द्वारा विधिवत् प्रकरण कमांक 79अ-59/1996-97 में पारित आदेश दिनांक 21.03.1997 के अनुसार भूमि स्थित ग्राम वडमाड़ई खास खसरा कमांक 515 रकवा 3.877 हेक्टेयर के वदले में, की अनुमति आवेदक कमांक 2 को दी थी, आवेदक कमांक 2 विवादित भूमि ग्राम मिनौरा खसरा कमांक 512/1 पर काविज होकर काविज कास्त कर कृषि कार्य करता रहा कालांतर में आवेदक कमांक 1 को उक्त भूमि वेनामा कमांक 523 दिनांक 19.05.1997 को आवेदक कमांक 1 को उचित प्रतिफल के साथ विकय कर दिया, आवेदिका उक्त भूमि पर लगातार काविज है एवं अपना कृषि कार्य उक्त भूमि पर करती आ रही है, उक्त भूमि को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा शासकीय घोषित कर पुनः गऊचर में दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर वाद विन्दु एवं वाद कारण को स्वतः उत्पन्न किया गया जिससे व्यथित होकर समक्ष श्रीमान् के निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

-:: निगरानी के आधार ::-

1. यह कि, प्रकरण कमांक 79अ-59/1996-97 में पारित आदेश दिनांक 21.03.1997 अधिनस्थ न्यायालय राजस्व अधिकारी तहसीलदार, टीकमगढ़ के रिपोर्ट पर पारित किया गया जिसे स्वयं कलेक्टर, टीकमगढ़ को सुनवाई करने का अधिकार नहीं था।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/1609 जिला – टीकमगढ़

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.10.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्षों को अवधि विधान की धारा 5 एवं ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 02.05.1998 के विरुद्ध दिनांक 25.03.2017 को पेश हुई है, जो प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य है। लगभग 19 वर्ष से अधिक समय के विलंब का कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण आवेदक की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी समयावधि बाह्य होने से निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। प्रशासकीय सदस्य	